कार्यालयः— वन संरक्षक, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।
ई—मेलः—cbsadiv648@gmail.com

पत्रांक—2797 दिनांक—16/12/17

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता, विघुत
ट्रान्समिशन अंचल, चाईबासा।

विषयः— उलीझारी, चाईबासा से गुवा 220 KV (D/C) ट्रान्समिशन लाईन निर्माण अन्तर्गत 42.148 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 716, TC/Chaibasa dt. 05.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि उलीझारी, चाईबासा से गुवा अन्तर्गत निर्माण होने वाले 220 KV (D/C) ट्रान्समिशन लाईन के अन्तर्गत चाईबासा वन प्रमण्डल में पड़ने वाले 42.148 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव की आठ हार्ड कॉपी आपके द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया है। प्रस्ताव के Hard copy के अवलोकन के क्रम में निम्नलिखित त्रुटि पाई गई है।

1. प्रस्ताव में आपके द्वारा कुल वन भूमि (चाईबासा वन प्रमण्डल+सारण्डा वन प्रमण्डल) 51.266 हे0 की वनभूमि विवरणी समर्पित की गई है। जबकि चाईबासा वन प्रमण्डल के लिए 42.148 हे0 वनभूमि का भूमि विवरणी प्रस्ताव में संलग्न करना है।
2. प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष गणना सूची में सारांश (Abstract) संलग्न नहीं है जिसे निम्नलिखित Format में वृक्षों का प्रजातिवार, गोलाई से0मी0 में अंकित कर संलग्न करना है।

Sl. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60) CM	(61-120) CM	(91-120) CM	(121-150) CM	(>-150) CM
1	2	3	4	5	6	7	8

3. प्रस्ताव में गैर जमरूवा (G.M) भूमि अर्न्तग्रस्त है परन्तु उक्त भूमि के लिए उपायुक्त/भू—राजस्व विभाग, राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. 1:50000 के स्केल वाले मूल टोपो शीट पर End to End दर्शाते हुये लोकेशन मैप समर्पित करना है।

अतः अनुरोध है कि आपके द्वारा समर्पित विषयक परियोजना के प्रस्ताव में पाई गई उपरोक्त त्रुटि का बिन्दूवार निराकरण हेतु इस प्रमण्डल से प्रस्ताव की सभी प्रति प्राप्त कर संशोधित प्रस्ताव पुनः इस प्रमण्डल में समर्पित किया जाय ताकि शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। विदित हो कि प्रस्ताव में पाई गई त्रुटि का निराकरण होने तक प्रस्ताव आपके स्तर पर लंबित माना जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी
(16/12)
वन संरक्षक
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।
16/12/17